SST No. 15/ 2025
Crime No. 362/2024
State Vs Ganga Prasad Ors
U/s 115(2), 352, 103(1), 351(2), 351(3) B.N.S.,
& 3(1)da, 3(1)dha & 3(2)5 SC/ST Act

UPPB010000322025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV,एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 15 / 2025

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन

प्रति

1. गंगा प्रसाद पुत्र ईश्वर प्रसाद,
2. ओमपाल पुत्र तेजराम,
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र तेजराम,
4. रामनिवास पुत्र रामौतार,

समस्त निवासीगण ग्राम प्रतापडांडी, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत।

अपराध संख्या– 362 / 2024
धारा 115(2) सपठित धारा 3(5), 352, 103(1) सपठित धारा 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी. / एस.टी. एक्ट, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास के विरूद्ध पुलिस थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत द्वारा अंतर्गत धारा 115(2), 352, 103(1), 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी. / एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्तगण का विचारण आरोपित अपराध में किया गया है।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि उसके भाई सीताराम पुत्र उमरायलाल, निवासी ग्राम प्रातपडांडी से गंगा प्रसाद पुत्र ईश्वर प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र पुत्रगण तेजराम व रामनिवास पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम प्रतापडांडी उसके भाई से गाली गलौच देने लगे, तभी उसके भाई ने गाली गलौच देने से मना किया, तभी उसके भाई से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके मारने लगे, उक्त लोगों ने उसके भाई के उपर डंडों से वार किया और उसके भाई के उपर काफी गंभीर चोटे आयी और उसका भाई बेहोश हो गया और गांव का शोर शराबा सुनकर वे लोग बचा कर लाये।

(3) उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर सम्बन्धित थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत पर दिनांक 03.11.2024 को 03:05 बजे मुकदमा अपराध संख्या 362 / 2024 अंतर्गत धारा 115(2), 352, 110 भा.न्या.सं. व धारा 3(1)(डी) व धारा 3(2)(5ए)

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.06.17 17:12:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण गंगाप्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र व रामनिवास के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना प्रारम्भ हुई। मजरूब सीताराम का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 02.11.2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरखेड़ा, पीलीभीत में कराया गया। वादी के भाई मृतक सीताराम की हालत गंभीर होने के कारण उसे बरेली रेफर किया गया, जहां दौरान इलाज मृतक सीताराम की लाईफ लाईन, न्यूरो ट्रामा एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बरेली में दिनांक 03.11.2024 को मृत्यु हो गयी, तत्पश्चात संबंधित अस्पताल द्वारा थाना बरादरी को पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु सूचना दी गयी। उसी दिनांक को मृतक सीतारम का पंचायतनामा तैयार कर पोस्टमार्टम से सम्बन्धित पुलिस प्रपत्र तैयार कर शव को पोस्टर्माटम हाउस, बरेली हेतु भेजा गया। दिनांक 05.11.2024 को अभियुक्त गंगाप्रसाद की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लाठी बरामदगी की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने गवाहों के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत प्रथमदृष्टया साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास के विरूद्ध अंतर्गत धारा 115(2), 352, 103(1), 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(4) अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास के विरूद्ध मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.2025 को अंतर्गत धारा 115(2) सपठित धारा 3(5), 352, 103(1) सपठित धारा 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 श्रीकृष्ण, (वादी) पी.डब्लू. 2 पार्वती(मृतक की पत्नी), पी.डब्लू. 3 भीमसेन (अन्य गवाह), पी.डब्लू. 4 हरिओम, (अन्य गवाह), पी.डब्लू. 5 प्रमोद कुमार (अन्य गवाह), पी.डब्लू. 6 अरविंद कुमार (अन्य गवाह), पी.डब्लू. 7 शिवओम (चक्षदुर्शी साक्षी) पी.डब्लू. 8 सुखलाल (अन्य गवाह), पी.डब्लू. 9 डा. लोकेश कुमार, (चिकित्सीय डाक्टर मजरूब पार्वती), पी.डब्लू. 10 का. 1308 प्रदीप कुमार,(एफ.आई.आर. लेखक), पी.डब्लू. 11 डा. प्रवेश कुमार आनंद,(चिकित्सीय डाक्टर बरखेड़ा), पी.डब्लू. 12 डा. प्रतीक दहिया(विवेचक), पी.डब्लू. 13 अवनीश कुमार, (पंचायतनामाकर्ता), पी.डब्लू. 14 डा. प्रवीन यादव, (पोस्टमार्टमकर्ता) को परीक्षित कराये गये हैं। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	श्रीकृष्ण	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	पी.डब्लू. 2	पार्वती	–	–

3	पी.डब्लू. 3	भीमसेन	—	—
4	पी.डब्लू. 4	हरीओम	—	—
5	पी.डब्लू. 5	प्रमोद कुमार	—	—
6	पी.डब्लू. 6	अरविंद कुमार	—	—
7	पी.डब्लू. 7	शिवओम	—	—
8	पी.डब्लू. 8	सुखलाल	—	—
9	पी.डब्लू. 9	डा. लोकेश कुमार	प्रदर्श क–2	इंजरी रिपोर्ट पार्वती
10	पी.डब्लू. 10	प्रदीप कुमार	प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट कायमी जी.डी. 07
11	पी.डब्लू. 11	डा. प्रवेश कुमार आनंद	प्रदर्श क–5	इंजरी रिपोर्ट सीताराम
12	पी.डब्लू. 12	डा. प्रतीक दहिया	प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9 वस्तु प्रदर्श –1 वस्तु प्रदर्श– 2	घटनास्थल नक्शानजरी, फर्द आलाकत्ल आलाकत्ल नक्शानजरी आरोप पत्र कपड़ा लाठी
13	पी.डब्लू. 13	अवनीश कुमार	प्रदर्श क–10	पंचायतनामा
14	पी.डब्लू. 14	डा. प्रवीन यादव	प्रदर्श क–11	शवविच्छेदन आख्या

(7) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षीगण के बयान को गलत बताया है तथा उनके विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर गलत विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(8) बचाव पक्ष की ओर से दौराने बहस यह तर्क दिया गया कि तथ्य के सभी साक्षीगण द्वारा अपने अपने साक्ष्य में कथित घटना का समर्थन नहीं किया गया है। मृतक सीताराम की प्रारंभिक चिकित्सीय रिर्पोट एवं मृत्यु पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आयी चोटों में भिन्नता है। शवविच्छेदन डाक्टर द्वारा मृतक को आयी चोटे गिरने से आना बताया है। तथ्य के सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षीगण है। घटना का कोई स्वतंत्रजन साक्षी नहीं है। साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में व तहरीर में चार अभियुक्तगण द्वारा लाठी डंडों से मारने पीटने का कथन किया गया है, जबकि विवेचक द्वारा मात्र एक लाठी को बरामद किया गया है तथा न्यायालय के समक्ष उक्त लाठी पर कोई खून के निशान व धब्बे नहीं पाये गये है। अतः उपरोक्त बयानों के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

(9) अभियोजन की ओर से उपरोक्त तर्को का प्रतिवाद करते हुए यह कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू. 1,2,3,4,5,6 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा साक्षी पी.डब्लू. 7 व 8 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, परन्तु मात्र इन कारण से साक्षीगण के साक्ष्य को पूर्णरूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, अपितु साक्षीगण के साक्ष्य का वह अंश जो अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान करता है, साक्ष्य में पूर्णरूप से ग्राह्य है। साक्षीगण पी.डब्लू. 9, 10, 11, 12, 13 व 14 औपचारिक साक्षीगण है, जिनके द्वारा अपने अपने प्रपत्रों को साबित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण के परिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(10) मैने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन एवं विश्लेषण किया।

(11) यह सुस्थापित विधि है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है।

(12) अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप लगाये गये है कि अभियुक्तगण ने एक राय होकर वादी मुकदमा श्रीकृष्ण जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के भाई/मृतक सीताराम को लाठी डंडो से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचायी तथा उक्त चोटों के कारण उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गयी।

(13) **भारतीय न्याय संहिता की धारा–103(1)** जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्यिों का समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते है, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने का लिए भी दायी होगा।

(14) भारतीय न्याय संहिता की **धारा 115** के अनुसार–**(1)** जो कोई, किसी कार्य को इस आशया से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति कारित करता है, वह ''स्वेच्छया उपहति करता है'' यह कहा जाता है।

(2) जो कोई, धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय, स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(15) भारतीय न्याय संहिता की **धारा 352** के अनुसार– जो कोई, किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करता है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(16) भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 351** के अनुसार– **(1)** जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

(2) जो कोई, आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(3) जो कोई, धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी महिला पर अस्तित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(17) **अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3** के अनुसार– अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड– (1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है कि–

धारा (द) के अनुसार– अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोकदृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा,

धारा (ध) के अनुसार– लोकदृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य हो गाली गलौज करेगा,

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अनुसार– अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड– (2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है–

धारा (v) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है), वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(18) प्रकरण मे किसी निष्कर्ष पर पहुॅचाने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य एवं औपचारिक साक्षियो के साक्ष्य की संवीक्षा किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा।

(19) क्या तथ्यों के अभियोजन साक्षीगण पी.डब्लू. 1 श्रीकृष्ण, पी.डब्लू. 2 पार्वती पी.डब्लू.3 भीमसेन, पी.डब्लू. 4 हरीओम, पी.डब्लू. 5 प्रमोद कुमार, पी.डब्लू. 6 अरविंद कुमार, पी.डब्लू. 7 शिवओम व पी.डब्लू. 8 सुखलाल लाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास के विरूद्ध धारा 115(2) सपठित धारा 3(5), 352, 103(1) सपठित धारा 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय

संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी. ⁄ एस.टी. एक्ट विधिनुसार प्रमाणित होते हैं?

निष्कर्ष

(20) प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि उसके भाई सीताराम पुत्र उमरायलाल, निवासी ग्राम प्रातपडांडी से गंगा प्रसाद पुत्र ईश्वर प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र पुत्रगण तेजराम व रामनिवास पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम प्रतापडांडी उसके भाई से गाली गलौच देने लगे, तभी उसके भाई ने गाली गलौच देने से मना किया, तभी उसके भाई से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके मारने लगे, उक्त लोगों ने उसके भाई के उपर डंडों से वार किया और उसके भाई के उपर काफी गंभीर चोटे आयी और उसका भाई बेहोश हो गया और गांव का शोर शराबा सुनकर वे लोग बचा कर लाये।

(21) साक्षी **पी.डब्लू. 1 श्रीकृष्ण** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि'' मैं सम्मन पर साक्ष्य देने हेतु उपस्थित आया हूॅं। घटना हुये लगभग 5 माह का समय हो गया है। समय करीब 7.30 बजे के आसपास मेरे गांव के गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र और राम निवास मेरे बडे भाई सीताराम को गालियां देने लगे। मेरे भाई सीताराम ने चारों अभियुक्तगणों को गालियां देने से मना किया तो जातिसूचक गाली धनकुटा कहकर अपमानित करने लगे और एक राय होकर अपने हाथ में लिए लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से सिर पर ताबड़ तोड़ प्रहार करने लगे। अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र और राम निवास के द्वारा सिर पर मारी गयी लाठियों से मेरे भाई सीताराम के सिर में गम्भीर चोटें आयीं। मेरा भाई मौके पर ही गिरकर, मरणासन अवस्था में हो गया। शोर सुनकर मैं व मेरी भाभी पार्वती (मृतक सीताराम की पत्नी) तथा मेरे भाई भीमसेन, हरिओम, शिवओम तथा अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से भाग गये। मेरी भाभी पार्वती और मृतक सीताराम की डाक्टरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरखेड़ा में हुयी थी। बरखेड़ा से मेरे भाई को जिला अस्पताल, पीलीभीत ले गये। हालत गम्भीर होने पर अच्छे इलाज को कहकर रेफर कर दिया, जहां से शारदा अस्पताल ले गये, उन्होंने भी गम्भीर स्थिति को देखते हुये रेफर कर दिया। तत्पश्चात् डा. सतीश गंगवार के अस्पताल ले गये, जहां पर भी अति गम्भीर स्थिति को देखते हुये हायर सेन्टर को रेफर कर दिया गया। प्रार्थी ने रात्रि में लाइफ लाइन अस्पताल, बरेली में भर्ती कराया था, जहां पर इलाज के दौरान दिनांक 03.11.2024 को दिन के लगभग 12.00 बजे सीताराम की अस्पताल में ही मृत्यु हो गयी। सीताराम का पोस्टमार्टम बरेली में हुआ था। मैंने मुकदमें के लिए प्रार्थना पत्र घटना से अगले दिन दिया था, क्योंकि मैं भाई सीताराम के इलाज में व्यस्त था। मैंने थाने में प्रार्थना पत्र किसी से लिखवाकर दिया था। प्रार्थना पत्र मुझे पढ़कर सुनाया गया था, जिसपर मैंने हस्ताक्षर किया था, जिसे देखकर मैं तस्दीक करता हूॅं, प्रदर्श क–1 अंकित किया गया। सी.ओ. साहब ने मुझसे पूछताछ की थी तथा मेरी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था।'' इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि'' आज मैं सबसे पहले न्यायालय आया हूॅं। मैं आज जो वयान दे रहा हूॅं वह अपनी मर्जी से कर रहा हूॅं। घटना दिनांक 02.11.2024 सायं 7.30 बजे की है। मैं धानुक जाति का हूॅं, आरोपी मौर्या जाति के हैं। मेरा घर अजुद्धी प्रसाद के घर से 20 मीटर की दूरी पर है। दिशा मुझे पता नहीं है कि घर किस दिशा में है। अजुद्धी मौर्या के घर के सामने की घटना है। घर के सामने सड़क की घटना है। मुझसे करीब डेढ़ हाथ दूर पर लाठी डंडो से गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र व राम निवास, सीताराम को मार रहे थे। मुझे कोई भी लाठी नहीं लगी थी, जबकि मैं डेढ़ हाथ की दूरी पर था। लाठी करीब 5 फिट की थी। जब यह घटना हो रही थी तब केवल मैं उपस्थित था, मेरे परिवार वाले भीमसेन, पार्वती, शिवओम, हरिओम बाद में आये। सीताराम मेरे सामने ही मर गये थे। इससे पूर्व मेरा

सीताराम के परिवार से कोई विवाद नहीं चल रहा था। लड़ाई की वजह मुझे नहीं मालूम है। मेरा भाई सीताराम जा रहा था तभी यह चारों लोग आये और उसको मारने लगे। मैंने केवल उसको लाठी डंडो से मारते हुये देखा इसके अलावा कुछ नहीं देखा है। मुझे जानकारी नहीं है कि मुझे सरकार से अनुदान राशि प्राप्त हुयी है अथवा नहीं। चारों मुल्जिमान घटना वाले दिन कपड़े पहने थे, कैसे कपड़े पहने थे, मुझे नहीं पता है। यह घटना के कारित करने के बाद चारों मुल्जिम अपने घर भाग गये। मुझे यह खूब पता है कि मुल्जिमान घटना के बाद अपने घर ही चले गये थे। तहरीर मैंने खुद दी थी। मैं अपने भाई को पहले सायं 8.00–9.00 बजे सरकारी अस्पताल ले गया था। सरकार अस्पताल वालों ने बोला कि यह यहां नहीं बचेंगें उनको अच्छे अस्पताल ले जाओ। पहले शारदा अस्पताल, फिर डा. सतीश के फिर लाइफ लाइन अस्पताल, बरेली ले गये थे। मेरे भाई की मृत्यु दिनांक 03.11.2024 को हुयी थी। मैंने 3 तारीख को सुबह 10.00–11.00 बजे तहरीर दी थी। मेरे वयान दरोगा साहब ने लिखे थे। नक्शा सी.ओ. साहब ने बनाया था। बाकी लोगों के वयान भी दरोगा साहब ने लिखे थे। मर तो ठौर ही गया था, हमने सोचा बच जाये तो हम अस्पताल ले गये। तहरीर प्रदर्श क–1 पर मेरे हस्ताक्षर है। तहरीर मैंने राजू पाठक से लिखवायी थी। जिनकी कापी किताबों की दुकान बरखेड़ा थाने के पास है। तहरीर लिखने वाले कस्बा बरखेड़ा के निवासी है, मुझे उनके निवास का पता नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे भाई सीताराम को गंगाप्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र व राम निवास ने न मारा हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे भाई सीताराम को किसी और ने मारा हो।'' अभियुक्त ओमपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' तहरीर किसने लिखी थी, मुझे नहीं मालूम। तहरीर लेखक ने मुझे तहरीर पढ़कर नहीं सुनी थी। मैं कथित घटना के समय मौके पर नहीं था। बाद में सूचना मिलने पर मैं गया था। जब मैं पहुंचा था, तो सीताराम को लोग ले जा रहे थे। मैंने ओमपाल व किसी अन्य मुल्जिम को सीताराम को मारते पीटते नहीं देखा था, न ही मेरे सामने किसी अभियुक्त ने जातिसूचक शब्द कहे और न ही कोई धमकी दी। न्यायालय में मेरे पूर्व में बयान हो चुके है। वह बयान मैंने गांव वालों के कहने पर दिये थे। आज मैं न्यायालय में सही बात बता रहा हूँ। मैं मौके पर नहीं था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल दस्तखत करना जानता हूँ। घटना वाले दिन अंधेरी रात थी। घटना स्थल पर कोई रोशनी का साधन नहीं था। सीताराम को कौन घायल कर गया, वह नहीं बता सकता।''

(22) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना का समर्थन किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि घटना घर के सामने सड़क की है। मुझसे करीब डेढ़ हाथ दूर पर लाठी डंडों से गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र व राम निवास, सीताराम को मार रहे थे। मुझे कोई भी लाठी नहीं लगी थी। जब यह घटना हो रही थी तो केवल मैं उपस्थित था। मेरे परिवार वाले भीमसेन, पार्वती, शिवओम, हरिओम बाद में आये। सीताराम मेरे सामने ही मर गये थे। इस साक्षी ने अग्रेतर कहा कि लडाई की वजह मुझे नहीं मालूम। अभियुक्त ओमपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी को जिरह के लिए पुनः परीक्षित किया गया, तो उक्त साक्षी ने कथन किया कि तहरीर किसने लिखी उसे नहीं मालूम। तहरीर लेखक ने मुझे तहरीर पढ़कर नहीं सुनायी थी। मैं कथित घटना के समय मौके पर नहीं था, बाद में सूचना मिलने पर वह गया था। मैंने ओमपाल व किसी अन्य मुल्जिम को सीताराम को मारते पीटते नहीं देखा था, न ही मेरे सामने किसी अभियुक्त ने जातिसूचक शब्द कहे और न ही कोई धमकी दी। न्यायालय में मेरे पूर्व में बयान हो चुके है, वह बयान मैंने गांव वालों के कहने पर दिये थे। आज मैं न्यायालय में सही बात बता रहा हूँ। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक से इतर व विपरीत कथन किये गये है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई बल नहीं मिलता है।

(23) साक्षी **पी.डब्लू. 2 पार्वती** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि''घटना हुये लगभग 7 माह का समय हो गया। समय करीब 7.30 बजे सायं को मैं और मेरे पति सीताराम खाना खाकर अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर बने अपने दूसरे घर पर सोने के लिए जा रहे थे। घर से निकल कर लगभग 100 मीटर पहुंचने पर गांव के गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र व रामनिवास आ गये तथा मुझे और मेरे पति सीताराम को गन्दी गन्दी गालियां देने लगे। धुनकुटा और धनकुटी कहकर अपमानित करने लगे। जब मैंने व मेरे पति ने गाली देने से मना किया तो इन चारों लोगों ने मेरे पति सीताराम को एक राय होकर अपने हाथ में लिये लाठी डंडे से जान से मारने की नीयत से मेरे पति के सिर पर ताबडतोड प्रहार करने लगे, जिससे मेरे पति को गंभीर चोटें आयीं और मौके पर ही गिरकर बेहोशी (मरणासन) अवस्था में आ गये। शोर सुनकर मेरे देवर श्रीकृष्ण और जेठ भीमसेन तथा प्रमोद, शिवओम और सुधा देवी तथा मैंने अपने पति का बीच बचाव किया। अभियुक्तगण ने मुझे भी मारा पीटा। अभियुक्तगणों ने धमकी दी कि धनकुटा तुझे अगली बार जान से मार देंगें। मोटर साइकिल हटाने की बात को लेकर मेरे जेठ के लड़के भीमसेन से गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र और रामनिवास से पूर्व में कहासुनी हुयी थी। सी.ओ. साहब ने मेरा वयान लिया था और मेरी निशानदेही पर नक्शा नजरी भी बनाया था।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि''मैं अपने पति के साथ जा रही थी। मेरे पति को कुछ लोगों ने मारापीटा रात अंधेरी थी। मैं मारने पीटने वालों को देख नहीं पायी और न ही पहचान पायी। हाजिर अदालत मुल्जिमान गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र व रामनिवास ने मेरे पति को नहीं मारापीटा था और न ही कोई गाली गलौज की और न ही धमकी दी तथा न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। मेरे चोटे गिरने से आयी। इससे पहले मैंने मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया था, वह पुलिस के कहने पर दिया था। आज मैं न्यायालय में सही बात बता रही हूँ। आज मैं बयान देने अपने बेटे के साथ आयी हूँ। मौके पर कोई और नहीं आया था।''

(24) इस प्रकार यह साक्षी मृतक की पत्नी व चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मैं अपने पति के साथ जा रही थी, मेरे पति को कुछ लोगों ने मारापीटा। रात अंधेरी थी। मैं मारने पीटने वालों को देख नहीं पायी और न ही पहचान पायी। इस साक्षी ने अग्रेतर अपनी प्रतिरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करने से इंकार किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके पति सीताराम की हत्या करने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई समर्थन नहीं मिलता है।

(25) साक्षी **पी.डब्लू. 3 भीम सेन** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया कि ''घटना हुए लगभग एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है। समय शाम को साढ़े छह सात बजे होंगे। सीताराम अपने घर से खाना खाकर दूसरे मकान पर जा रहे थे, साथ में पत्नी भी थी। गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेश और रामनिवास गाली दे रहे थे, तो सीताराम ने पूछा कि गाली क्यों दे रहे हो, इसी बात पर अभियुक्तगण सीताराम को लाठी डंडे से सिर पर मारे थे। शोर शराबा हुआ, तो हम लोग गये। अभियुक्तगण ने सीताराम को मारकर जमीन पर गिरा दिया था। जब हम लोग पहुंचे तो हमें देखकर मुल्जिमान भाग गये। बचाने मैं, मेरे भाई श्रीकृष्ण, मेरा लड़का प्रमोद और शिवओम तथा मेरी पत्नी सुधा देवी गयी थी। अभियुक्तगण जातिसूचक शब्द धनकुटा व धनुकुटी कहकर अपमानित कर रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मोटरसाईकिल हटाने की बात को लेकर मेरे लड़के भीमसेन से अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार और रामनिवास से पूर्व में कहासुनी हुई थी। उसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने

सीताराम को मारा था। जातिसूचक गाली व जान से मारने की धमकी दी थी। सी.ओ. साहब मुझसे पूछताछ किये थे। सी.ओ. साहब मेरा बयान लिये थे। मैं सीताराम को लेकर बरखेड़ा थाने गया था और उसके बाद थाने से सरकारी अस्पताल बरखेड़ा ले गये थे, फिर बरखेड़ा सी.एच.सी. से जिला अस्पताल पीलीभीत भेज दिया था। गंभीर हालत के कारण सीताराम एस.एस. हॉस्पिटल, पीलीभीत में भर्ती कराया गया, जहां से मना करने पर डाक्टर सतीश गंगवार के हॉस्पिटल ले गये, तो डा. सतीश गंगवार ने मना कर दिया और हायर सेंटर ले जाओ, तब हम लोग सीताराम को बरेली लाइफ लाइन हॉस्पिटल ले गये थे और वहां भर्ती कराया। जहां दिनांक 03.11.2024 को सीताराम की मृत्यु हो गयी थी। वही पुलिस पंचायतनामा भरकर सीताराम के शव का पोस्टमार्टम कराया था।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षीने कथन किया कि'' सीताराम का दूसरा घर 400—500 मीटर दूर है। सीताराम का घर दूसरे गांव मोहनपुरी में है। सीताराम के साथ सीताराम की बहु थी, मैं नहीं था। मुल्जिमान के परिवार वालों का सीताराम से मोटरसाईकिल संबंध में कोई विवाद नहीं हुआ था। मेरे लड़के से हुआ था। मैं सीताराम के घर से चार पांच घर छोड़कर रहता हूँ, जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा, तो सीताराम घायल अवस्था में पड़े हुए थे। लोग मारकर चले गये थे। सीताराम मेरे भाई थे, इसलिए आज मैं न्यायालय में गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हो।''

(26) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले में मृतक का भाई है, जिसके द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथित घटना का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया गया कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा, तो सीताराम घ ायलावस्था में पड़े हुए थे, लोग मारकर चले गये थे। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा जिरह में कोई घटना न देखना स्वीकार किया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई बल नहीं मिलता है।

(27) साक्षी **पी.डब्लू. 4 हरीओम** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ''घटना दिनांक 02.11.2024 समय साढ़े छह व सात के बीच की थी। मैं अपने घर पर था। मेरे चाचा व चाची खाना खाकर अपने दूसरे घर पर जा रहे थे। मेरे चाचा सीता व मेरी चाची पार्वती देवी है। वह लोग जब घर से 100 मीटर की दूरी पर पहुंचे, तो चौराहे पर गंगा प्रसाद, रामनिवास, ओमपाल व सुरेन्द्र कुमार देखते ही गालियां व जातिसूचक शब्दों से धनकुटा धनकुटी कहते हुए अपमानित करने लगे, तभी मेरे चाचा चाची ने गाली देने से मना किया, तभी यह चारो लोग एक राय होकर मेरे चाचा सीताराम को लाठी डंडों से मारने पीटने लगे। अभियुक्तगण मेरे चाचा के सिर पर लठियों से ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। मेरी चाची पार्वती ने मेरे चाचा को बचाने का प्रयास किया और चीख पुकार करने लगी। चीख पुकार सुनकर मैं व मेरे बड़े पापा श्रीकृष्ण, प्रमोद, शिवओम व उसकी मां सुधा देवी भी मौके पर आ गयी। जब हम लोग पहुंचे, तो हम लोगों ने देखा कि अभियुक्तगण मेरे चाचा को लाठियों से ताबड़तोड़ मार रहे थे। हम लोगों को देखते हुए अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। सी.ओ. साहब ने मुझसे घटना के संबंध मं पूछताछ की थी।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मैं चाचा के साथ नहीं गया था। बड़ा भाई उन्हें अस्पताल ले गया था। मेरे चाचा का दूसरा घर उसी गांव प्रतापपडंडी में ही है। मेरा घर व मेरे चाचा का घर लगभग 500 मीटर है। मुझे किसी ने खबर नहीं दी थी। चीखने की आवाज से मुझे मालूम हो गया था। मेरे चाचा का झगड़ा हो रहा है। कथित घटना स्थल मेरे घर से पूर्व की दिशा में है। मेरे बड़े पापा श्रीकृष्ण चचेरे भाई प्रमोद, बड़े भाई शिवओम व मेरा घर दो तीन मीटर में है। चौराहे पर गांव के और लोगों के भी मकान है। चौराहे के मकानों में रहने वालों को न गवाह बनाया गया है और न ही वह लोग कथित घटना के समय मौके पर आये थे। इस मुकदमे में जो गवाह है, वह मैने अपने

परिवार वाले ही बनाये है। कथित घटनास्थल पर हम सब परिवार वाले चीख सुनकर इकट्ठे होकर गये थे। मेरे व मकान से कथित घटनास्थल तक लोगों के मकान है व आबादी है। हम लोग घटनास्थल पर दस मिनट बाद पहुंचे। मैंने दस मिनट बाद खुद देखा था। यह बात मैंने पुलिस को बतायी थी कि मुल्जिमानों को मारते हुए देखा हैं अगर यह बात मेरे बयानों में पुलिस ने नहीं लिखी हो, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैंने किस पुलिस वाले को यह बात बतायी थी, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने अपना बयान थाने में दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरा बयान लेने मेरे घर कोई आया था या नहीं। जब हम लोग पहुंचे, तब तक वह मुल्जिम लोग भाग गये थे। यह कहना गलत है कि सीतामारा मेरे चाचा थे, इसलिए गवाही दे रहा हो। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हो।''

(28) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि कथित घ टनास्थल पर हम सब परिवार वाले चीख सुनकर इकट्ठे होकर गये थे। हम लोग घ टनास्थल पर 10 मिनट बाद पहुंचे। जब हम लोग पहुंचे, तब तक वहां से मुल्जिमान लोग भाग गये थे। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा कोई घटना होते हुए नहीं देखी गयी है और केवल मृतक का सगा भतीजा होने के कारण न्यायालय में गलत गवाही दी है।

(29) साक्षी **पी0डब्लू–5 प्रमोद कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना दिनांक 02.11.2024 समय लगभग 6:30 व 7 बजे शाम की है। मेरे चचेरे भाई हरीओम ट्रैक्टर लेकर अपने घर को जा रहा था। गांव के रहने वाले प्रेमपाल, ओमपाल, सुरेन्द्र से कहासुनी हो गयी थी। मैं घर पर था। मुल्जिमान मेरे गांव के चौराहे पर जाति वाद की गालियां दे रहे थे। मेरे चाचा सीताराम खाना खाकर गांव के बाहर दूसरे मकान में सोने जा रहे थे। मेरे चाचा ने सुरेन्द्र, ओमपाल, गंगा प्रसाद व रामनिवास को गाली देने से मना किया। इन लोगों ने उनसे लाठियों से मारा। मोहल्ले में शोर शराब हुआ, तो हम सब लोग मोहल्ले में भाग कर गये, तो ये लोग मार रहे थे, मेरे चाचा सीताराम को मार रहे थे। जब हम गये, तो ये लोग पीछे हट गये। हमारे परिवार के लोग सीता राम को अस्पताल ले गये। पहले अपने चाचा को बरखेड़ा अस्पताल ले गये, उसके बाद पीलीभीत लाये, उसके बाद लाइफ लाइन बरेली को ले गये, फिर इलाज के दौरान मेरे चाचा सीताराम की मृत्यु हो गयी। सी.ओ. साहब ने मेरे बयान लिये थे।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मैं कक्षा आठ पास हूँ। मेरे सगे चाचा थे। मैं सीताराम के साथ अस्पताल ले गया था, फिर कहा कि बरेली गया था। जब चौराहे पर मुल्जिमान से मेरे चाचा की बात पर घटना हो रही थी, तब मैं घर पर था। मौके पर पूरा गावं था, लेकिन इस मुकदमे में गवाह मृतक सीताराम के परिवार वालों को बनाया गया था। मेरा भाई हरिओम ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, यह बात मुझे लोगों ने बतायी थी। मृतक सीताराम का दूसरा मकान मेरे गांव में ही है, दूसरे गांव में नहीं है। मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर है। मुझे अंदाज नहीं है कि मेरे गांव के पूरब से पश्चिम लम्बाई कितनी है व उत्तर से दक्षिण की लम्बाई कितनी हैं। मृतक मेरे चाचा थे, इसलिए गवाही नहीं दे रहा हू, बल्कि मैं मौके पर पहुंच गया था। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाहीदे रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि मृतक मेरा सगा चाचा थे, इसलिए झूठी गवाही दे रहा हूँ। मौके पर पूरा गांव आ गया था, कौन कौन आया था मुझे नहीं मालूम।''

(30) इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया है कि जब चौराहे पर मुल्जिमान व मेरे चाचा के बीच घटना हो रही थी, तब मैं घर पर था। मौके पर पूरा गांव था, लेकिन इस मुकदमे में गवाह मृतक सीताराम के परिवार वालों को बनाया गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी कोई घटना नहीं देखी है तथा किसी स्वतंत्र जनसाक्षी को

साक्षी नहीं बनाया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का बल नहीं मिलता है।

(31) साक्षी **पी0डब्लू–6 अरविंद कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना दिनांक 02.11.2024 शाम के लगभग साढ़े छह सात बजे थे। आसपास की थी। मेरे तेहरे भाई हरिओम ट्रैक्टर लेकर अपने घर को जा रहा था। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर गांव के गंगा प्रसाद का लड़का प्रेमपाल और तेजराम का लड़का ओमपाल और सुरेन्द्र अपनी मोटरसाईकिल लेकर रास्ते में खड़े थे। इन लोगों ने अपनी मोटरसाईकिल बीच रास्ते में खड़ी की थी। हरिओम ने इन लोगों को जब मोटरसाईकिल हटाने को कहा, तो यह लोग नाराज होकर हरिओम से कहासुनी करने लगे तथा मोटरसाईकिल हटाने से मना कर दिया। गांव के लोों से जानकारी मिलने पर बड़े पापा भीमसेन ने जाकर किसी तहर मामला शांत किया और अपने घर आ गये। इस घटना की जानकारी मेरे मां बाप को नहीं थी, उसी दिन शाम को साढ़े सात बजे के आस पास मेरी मां पार्वती, पिता सीताराम खाना खाकर अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर बने अपने दूसरे घर पर सोने के लिए जा रहे थे। घर से निकलते ही कुछ दूरी पर गांव के गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र और राम निवास मेरे मम्मी पापा को जातिसूचक गाली धनकुटी धनकुटा कहकर अपमानित करने लगे और भी गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब मेरे मां बाप ने गाली देने से मना किया, तो चारो लोगों ने मेरे पापा सीताराम को एक राय होकर अपने हाथ में लिए लाठी डंडों से जान से मारने की नियत से मेरे पिता के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे, जिससे मेरे पापा के सिर पर गंभीर चोटे आयी। वह मौके पर गिरकर वेहोश होकर मरणासन्न अवस्था पहुंच गये। मेरी मां पार्वती ने जब बचाने का प्रयास किया, तो अभियुक्तगण ने उन्हें भी मारा, जिससे मेरी मां को भी चोटे आयी थी। चीख पुकार सुनकर मेरे चाचा श्रीकृष्ण व भीमसेन, चचेरा भाई प्रमोद कुमार, शिवओम तथा ताई सुधा तथा अन्य लोग बीच बचाव करने ओय, तो चारो लोग यह कहते हुए चले गये कि साला आ बचेगा नहीं, मर जायेगा, जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मैं परिवारवालों की मदद से अपने पिता सीताराम को थाना बरखेड़ा ले गया। पुलिस वालों ने उन्हें बरखेड़ा सी.एच.सी. इलाज के लिए भेज दिया था, वहां से डाक्टर सतीश के यहां ले गये, उन्होंने बरेली ले जाने की सलाह दी थी। बरेली लाइफ लाइन अस्पताल ले गये थे, जहां दिनांक 03.11.2024 को मृत्यु हो गयी। मैंने पंचायतनामा पर साइन किये थे। सी.ओ. साहब ने मेरे बयान लिये थे।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि''मुल्जिमान का मेरे पिता सीताराम से कोई झगड़ा नहीं हुआ। कथित घटना रात्रि की है। रात अंधेरी थी। जब पिता जी घर से निकले था, तो मैं घर था। पिता जी जिस घर को जा रहे थे, वह उसी गांव है, 500 मीटर दूर है। मेरे पिता जी दूसरे घर में रहते थे। कथित घटना स्थल के आसपास किस मुल्जिम का घर नहीं है। मेरे गांव में पूर्व से पश्चिम हाइवे निकला हुआ है। मैंने शोर सुना। शोर सुनने के बाद मैं मौके पर पहुंचा था। इस मुकदमे में कथित घटनास्थल के आस पास का कोई गवाह नहीं है। सभी गवाह परिवार के लोग है। मैं अपने पिता को पहले बरखेड़ा थाने अस्पताल, बरखेड़ा में भर्ती कराया। मैं थाने में कोई तहरीर नहीं दी थी। थाने जाने के बाद आगे की कार्यवाही पुलिस ने की। मुल्जिमान से मेरे पापा की कोई बात नहीं हुयी थी, मुल्जिमान ने मेरे पापा को वेवजह गालियां दी थी। मैंने सी.ओ. साहब को बयान में यह नहीं बताया कि मैं घटना के समय पहुंच गया था। पिता जी मृत्यु के बाद समस्त परिवारजनों ने इकट्ठा होकर आपस में सलाह मशविरा करके मुकदमा लिखाया था। यह कहना गलत है कि मैं बयान बयानी कर रहा हूॅ।''

(32) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले में मृतक सीताराम का पुत्र है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया गया कि मुल्जिमान से मेरे पिता सीताराम से कोई झगडा नहीं हुआ। कथित घटना रात्रि की है। रात अंधेरी थी, जब पिता जी घर से निकले थे

तब मैं घर था। पिता जी जिस घर को जा रहे थे, वह घर उसी गांव में 500 मीटर दूर है। कथित घटनास्थल के आसपास किसी मुल्जिम का घर नहीं है। मैंने शोर सुना, शोर सुनने के बाद मैं मौके पर पहुंचा था। इस मुकदमे में कथित घटनास्थल के आसपास का कोई गवाह नहीं है। सभी गवाह परिवार के लोग हैं। मैंने थाने में कोई तहरीर नहीं दी थी। थाने जाने के बाद आगे की कार्यवाही पुलिस ने की थी। मुल्जिमान से मेरे पापा की कोई बात नहीं हुयी थी। मैंने सीओ साहब को बयान में यह नहीं बताया कि मैं घटना के समय पहुंच गया था। पिता जी की मृत्यु के बाद समस्त परिवारजनों ने इकट्ठा होकर आपस में सलाह मशवरा करके मुकदमा लिखवाया था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी ने कोई घटना नहीं देखी है और सलाह मश्वारा करके अभियुक्तगण को नामित किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि रात अंधेरी थी। रोशनी का कोई माध्यम न तो साक्षियों द्वारा बताया गया और न ही विवेचक द्वारा बताया या दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई समर्थन व बल नहीं मिलता है।

(33) साक्षी **पी0डब्लू–7 शिव ओम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि'' मुझे घटना की तारीख और समय याद नहीं है। मैं मौके पर नहीं था। मैंने कोई घटना नहीं देखी। मेरे पिता भीमसेन से मोटरसाईकिल खड़ी करने को लेकर मुल्जिमान से कहासुनी हुई थी। मैंने कहासुनी होते हुए नहीं देखा था। मेरे चाचा सीताराम की मृत्यु किसके मारने से हुई थी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं मौके पर नहीं था। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मेरे चाचा कैसे मरे। मुझे जब पता चला जब वह अस्पताल गये थे। पार्वती देवी के चोटे कैसे आयी थी, मुझे यह जानकारी नहीं है। पुलिस वाले मुझसे कोई पूछताछ नहीं किये थे।'' इस स्तर पर साक्षी को` पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि''गवाह को धारा अंतर्गत 180 बी.एन.एस.एस. का पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैं मौके पर नहीं था। मैं कोई घटना नहीं देखी है। पार्वती और उनके पति को किसने मारा था। मुझे जानकारी नहीं है। सीताराम की मृत्यु कैसे हुई थी, उसे यह भी जानकारी नहीं है। मैं सीताराम को देखने हॉस्पिटल नहीं गया था। यह कहना सही है कि गंगा प्रसाद, ओमपाल, रामनिवास व सुरेन्द्रपाल मेरे ही गांव के है। मैं इन्हें जानता पहचानता हूँ, लेकिन यह कहना गलत है कि जानने पहचानने के कारण आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। यह कहना गलत है कि भय, लालच व दबाव में आज मैं झूठी गवाही दे रहा हो।'' बचावपक्ष की ओर से जिरह निल की गयी।

(34) यह साक्षी मृतक का भतीजा है। उक्त साक्षी द्वारा किसी प्रकार की घटना का कोई समर्थन अपने संपूर्ण साक्ष्य में नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर व विपरीत कथन किये गये है, जिस कारण अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

(35) साक्षी **पी0डब्लू–8 सुखलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि'' मैं मौके पर नहीं था। मैंने कोई घटना नहीं देखी। मैं अपने घर पर था। मुझे घटना का तारीख व समय नहीं मालूम है। मैं मौके पर नहीं था। सीताराम और पार्वती देवी को किसने मारा था, मुझे नहीं मालूम। सीताराम की मृत्यु किसके मारने और किस हथियार से मारने से हुई थी, मुझे नहीं मालूम। सी.ओ. साहब मुझसे घटना के सबंध में पूछताछ नहीं किये थे।''इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि''गवाह को धारा अंतर्गत 180 बी.एन.एस.एस. का पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया, कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैं मौके पर नहीं था। मैं कोई घ

ाटना नहीं देखी। मुझे समन आने पर गवाही के बारे में जानकारी हुई थी। अभियुक्त गंगा प्रसाद, रामनिवास, सुरेन्द्र पाल व ओमपाल मेरे ही गांव के है, मैं इन्हें जानता पहचानता हूँ यह कहना गलत है कि मैं इन्हें जानने पहचानने के कारण आज न्यायालय में इन्हें बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हो। यह भी कहना गलत है कि भय, लालच एवं दबाव में आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो।'' बचावपक्ष की ओर से जिरह निल की गयी।

(36) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में कथित घटना का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर व विपरीत कथन किये गये है, जिस कारण अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

(37) क्या औपचारिक अभियोजन साक्षीगण पी.डब्लू. 9 डा. लोकेश कुमार, पी. डब्लू.10 प्रदीप कुमार, पी.डब्लू. 11 डा. प्रवेश कुमार आनंद, पी.डब्लू. 12 डा. प्रतीक दहिया, पी.डब्लू. 13 अवनीश कुमार व पी.डब्लू. 14 डा. प्रवीन यादव द्वारा अपने अभियोजन प्रपत्रों को नियमानुसार साबित किया गया है तथा औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास के विरूद्ध धारा 115(2) सपठित धारा 3(5), 352, 103(1) सपठित धारा 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी. / एस.टी. एक्ट को साबित करने में कोई सहायता प्राप्त होती है?

(38) साक्षी **पी0डब्लू–9 डा. लोकेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''दिनांक 05.11.2024 को मैं सी.एच.सी. बरखेड़ा पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। उसी दिन पार्वती पत्नी सीताराम, निवासी ग्राम प्रतापडांडी, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत की डाक्टरी मेरे द्वारा की गयी। होमगार्ड 108 कविता देवी, थाना बरखेड़ा द्वारा लाया गया था। मजरूब पार्वती देवी होश में थी और सभी वाइटलस स्तर थे। पीड़िता के दाहिने हाथ के अंगूठा में द्वारा लगवाकर प्रमाणित किया गया था। चोटों का विवरण :– 1. सिर में दर्द की शिकायत। 2- 3cm x 1cm का विरूज (Bruise) दाहिनी भुजा अंदर की तरफ कोहनी से 5 सेमी उपर था। 3. पूरे शरीर में दर्द की शिकायत बता रहा था। सभी चोटे सामान्य प्रकृति की थी, जो लगभग तीन दिन पुरानी थी। हार्ड एण्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आना संभव थी। मेडिकल रिपोर्ट मेरे हस्ताक्षर में है, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या क7 / 1 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मैं चोटों की अवधि घायल के बताये अनुसार लिख दिया। दर्द की शिकायत का कोई परीक्षण नहीं होता है। मजरूबा के बताये अनुसार लिख दिया गया है। चोट नं. 2 गिरने से आ सकती है और बनायी भी जा सकती है। यह कहना गलत है कि नियमानुसार मेडिकल परीक्षण न किया हो।''

(39) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा पार्वती देवी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उसके द्वारा चोट संख्या–1 सिर में दर्द की शिकायत, चोट संख्या–2 ब्रूज, चोट संख्या–3 शरीर में दर्द की शिकायत लिखी गयी थी। जिरह में उक्त साक्षी द्वारा बताया गया कि चोट संख्या–1 व 3 पार्वती के बताये अनुसार लिखी है तथा चोट संख्या–2 गिरने से आ सकती है। चोटों की अवधि भी पार्वती के बताये अनुसार लिखी है। उल्लेखनीय है कि पार्वती ने अपने साक्ष्य में मुल्जिमान द्वारा चोटें पहुंचाना नहीं बताया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

(40) साक्षी **पी0डब्लू–10 का. 1308 प्रदीप कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 03.11.2024 को थाना बरखेड़ा में कार्य लेख पर तैनात होने एवं उसी दिन वादी मुकदमा द्वारा दिये गये हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर चिक एफ. आई.आर. दर्ज किये जाने तथा उसका उल्लेख जी.डी. 07 में किये जाने के तथ्य की पुष्टि करते हुए चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–3 व जी.डी. प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि मेरे द्वारा एफ.आई. आर. प्रभारी निरीक्षक के आदेश से लिखी गयी थी। कम्प्यूटर ऑपरेटर निर्विकार सिंह के द्वारा टाइप की गयी थी। जी.डी. प्रदर्श क–4 पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं है।

(41) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले में एफ.आई.आर. लेखक है, जिसे द्वारा मुकदमे की चिक एफआईआर व जीडी टाइप करवाई गयी थी, जिसको इस साक्षी द्वारा साबित किया गया है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी हैं।

(42) साक्षी **पी0डब्लू–11 डा. प्रवेश कुमार आनंद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.11.2024 को मैं सी.एच.सी. बरखेड़ा पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन मैं इमजेंसी ड्यूटी थी। उस दिन मजरूब सीता राम पुत्र उमराय लाल, निवासी प्रताप डांडी, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत को का. 287 राहुल भाटी मेरे समक्ष मेडिकल कराने हेतु लेकर आये थे। मजरूब पूर्णतया होश में था। चोटों का विवरण :– 1. फटा हुआ (लेसेरेईड बुड) घाव जिसकी लम्बाई 3cm x 0.4cm सर के उपर मौजूद था। दाये आंखे से 8 सेमी उपर था। 2. एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 1.5cm x 0.5cm था, जो सर के उपर 6 सेमी दोनों भौं के मध्य से उपर। 3. एक कन्टूजन जिसका आकार 2cm x 1cm था, दायी अपर आईहीड पर ही था। 4. एक कन्टूजन जिसका आकार 1cm x 1cm जोकि बांयी अपर आईहीड पर मौजूद था। चोट नं. 1, 2, 3, 4 को कैप अंडर ओवरेजन में रखा गया। चोट की अवधि ताजा प्रतीत होती है। कठोर एवं कुंद हथियार से चोट आना प्रतीत होती है। चोटों के लिए एक्सरे सर के लिए संदर्भित जिला अस्पताल किया था। मेडिकल परीक्षण दिनांक 02.11.2024 को समय 8 बजे शाम से दिनांक 02.11.2024 को 8:20 बजे शाम तक किया गया। मेरे द्वारा मजरूब के बांये अंगूठे का निशान लिया गया, जिसको मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे हस्ताक्षर में है एवं मेरे द्वारा टाइप की गयी है, जो शामिल पत्रावली में कागज संख्या क7/2 है। मेडिकल रिपोर्ट सं. एम.एल.पी.सी. नं. 1001/24 है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। मेडिकल रिपोर्ट का. 287 राहुल भाटी को प्राप्त करायी गयी थी। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान अंकित किया था। बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मजरूब को चोटे गिरने से भी आ सकती है। मजरूब पूरे होश में था। मजरूब ने चोटे कैसे आयी यह बताया था या नहीं मुझे याद नहीं।''

(43) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा मृतक सीताराम का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें कुल चार चोटें आना बताया था। इस साक्षी ने जिरह में बताया है कि घायल सीताराम को उक्त चोटें गिरने से भी आ सकती है। मजरूब पूरे होश में था। मजरूब ने चोटें कैसे आयी, यह बताया था या नहीं, मुझे याद नहीं। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

(44) अभियोजन साक्षी संख्या **12 डा. प्रतीक दहिया** द्वारा अपनी साक्ष्य की मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 03.11.2024 को क्षेत्राधिकारी बीसलपुर के पर तैनात होने के तथ्य की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना ग्रहण किये जाने व विवेचना संबंधी समस्त जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत प्रथम

दृष्टया साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुए नक्शानजरी को प्रदर्श क–6, फर्द बरामदगी आलाकत्ल प्रदर्श क–7, कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 1 व लाठी पर वस्तु प्रदर्श –2, आलाकत्ल नक्शानजरी प्रदर्श क–8 तथा आरोपपत्र को प्रदर्श क–9 के रूप में प्रमाणित किया है। टू कोर्ट में इस साक्षी ने कथन किया कि ''अभियुक्तगण गंगाप्रसाद , ओमपाल, सुरेंद्र कुमार व रामनिवास के विरुद्ध सामयिक साक्ष्य अंकित करने के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया गया। घटना स्थल का नक्शा नजरी भी मेरे द्वारा साबित किया गया। घटना रास्ते में अभियुक्तगण की खड़ी मोटरसाइकिल को हटाने की बात को लेकर हुई थी। जिसमें आस पास के लोगों के बताने के आधार पर आपस में विवाद होना कहा गया जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा मृतक व उसकी पत्नी को लाठी डंडे से मारा पीटा जाना कहा गया। मारने पीटने की वजह से आई चोटों के कारण अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। घटना रात साढे सात आठ बजे की बताई गई है जिसमें घटनास्थल पर लाइट का कोई स्रोत नहीं दर्शाया गया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लाठी को खोला गया तो उस पर कोई खून के धब्बे नहीं पाये गये। मुल्जिमान से झगड़ा होने का एफ.आई.आर में कथन नहीं है। चिकित्सकीय परीक्षण पार्वती देवी का तीन दिन पश्चात कराया गया था। कोई खुली चोट नहीं है नीलगू निशान है। यह कहना गलत है कि मैंने नियमानुसार विवेचना न की हो और बिना पर्याप्त साक्ष्य के आरोपपत्र प्रेषित किया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं विवेचक होने के कारण प्रकरण पर बल देने के लिए गलत बयानी कर रहा हूं।

(45) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले में विवेचक है, जिसके द्वारा विवेचना के उपरान्त उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया है कि घटनास्थल का नक्शा नजरी भी मेरे द्वारा साबित किया गया। घटना रास्ते में अभियुक्तगण की खडी मोटरसाइकिल को हटाने की बात पर हुयी थी, जबकि एफआईआर व साक्षियों के बयानों से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है। साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि घटना रात्रि 07:30–08:00 बजे की बतायी गयी है जिसमें घटनास्थल पर लाईट का कोई स्रोत नहीं दर्शाया गया है। न्यायालय के समक्ष कथित लाठी को खोलने पर उस पर कोई खून के धब्बे नहीं पाये गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कथित रूप से चार अभियुक्तगणों द्वारा मृतक को लाठी–डंडों से पीटना बताया गया है लेकिन मात्र एक लाठी दर्शायी गयी है। इस प्रकार विवेचक द्वारा सारवान रूप से विवेचना नहीं की गयी है और मृतक के परिजनों व संबंधियों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(46) साक्षी **पी0डब्लू–13 अवनीश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 03.11.2024 को मैं थाना बारादरी, जिला बरेली में उपस्थित था। लाइफलाइन अस्पताल से वार्डब्वाय अशोक मो.न. 7817040076 ने उपस्थित आकर एक किता मेमो फौती मृतक सीताराम पुत्र उमरायी लाल का गांव में आपसी झगड़ा होने से आयी चोटों का इलाज कराने के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में लाकर दाखिल किया। उक्त सूचना थाने में व कां. राजू मय जिल्द पंचायतनामा व मेमो व दीगर प्रपत्र के लाइफ लाइन अस्पताल, बरेली आया। पंचाग नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। पंचों की राय में मृतक सीताराम की मृत्यु गांव में आपसी लड़ाई झगड़े में आयी चोटां के कारण हुई है, फिर भी मृतक की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पंचायतनामा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। पंचायतनामा पर पंचाग अरविंद भीमसेन, प्रमोद कुमार, सुखलाल व प्रेमा के हस्ताक्षर है, जिसे देखकर मैं तस्दीक करता हूॅं। जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 7क/3 लगायत 7क/4 है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। टू कोर्ट में इस साक्षी ने कथन किया कि''पंचायतनामा तैयार करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा था। पंचायतनामा में मुकदमा अपराध संख्या का कोई विवरण नहीं है। पंचायतनामा में चोटे मैंने मृतक के साथ

आये लोगों के अनुसार लिखी है। मैने सिर की चोट पट्टी खुलवाकर नहीं देखी थी। मैंने पंचायतनामा में मृतक के दो चोटे लिखी है। जबकि फोटो नाश में तीन चोटे दर्शायी है। मैंने कुल चार फार्म भरे थे। जिसमें दो पंचायतनामें के और दो अन्य के थे। यह कहना गलत है कि मैंने नियमानुसार पंचायतनामा न भरा हो। यह भी कहना गलत है कि मैं अपनी कारगुजारी सही साबित करने के लिए गलत बयानी कर रहा हूं।

(47) इस प्रकार यह साक्षी पंचायतनामा का गवाह है, जिसके द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरा था। इस साक्षी द्वारा बताया गया है कि पंचायतनामा में मैंने चोटें मृतक के साथ आये लोगों के अनुसार लिखी है। मैंने सिर की चोट की पट्टी खुलवाकर नहीं देखी थी। मैंने पंचायतनामा में मृतक के दो चोटे लिखी हैं जबकि फोटोनाश में तीन चोटें दर्शायी हैं। मैने कुल 4 फार्म भरे थे जिसमें दो पंचायतनामा के और दो अन्य के थे, जबकि पत्रावली पर 5 फार्म थे। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा जो विवरण बताया गया है उसके विपरीत पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है। इस प्रकार उक्त साक्षी को विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता है।

(48) साक्षी **पी0डब्लू–14 डा. प्रवीन यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 03/11/2024 को मेरी ड्यटी पोस्टमार्टम हाउस बरेली में थी। सीताराम पुत्र उमरिया लाल उम्र 45 वर्ष, पुरुष निवासी ग्राम प्रतापदांडी थाना बरखेड़ा पीलीभीत को सी.पी 3699 रज्जू बारादरी बरेली द्वारा पोस्टमार्टम हाउस सात प्रपत्र के साथ समय 5.00 PM दिनांक 05/11/2024 को लाया गया। पहचान करने वाले संबंधियों के नाम अरविंद कुमार(मृतक का पुत्र) पुत्र सीताराम निवासी ग्राम प्रतापडांडी पीलीभीत, भीमसेन(बड़ा भाई) पुत्र उमरिया लाल थे। सीताराम लाइफलाइन अस्पताल बरेली में 02/11/2024 को 11.55 पी.एम. को भर्ती हुआ था। जिसकी मृत्यु 03/11/24 को 12. 10 पी.एम. पर हुई थी। अस्पताल का केंन्द्रीय पंजीकरण संख्या 202411013 है। सीताराम के शव की औसत उंचाई 159 सेमी थी। शारीरिक बनावट मध्यम थी। पहने हुए वस्त्रो का विवरण– खाकी रंग का लोअर, नीला अंडरवियर, लाल कलावा, लाल करधनी, हास्पिटल बैंडेज आफ हेड, कुल 5 आइटम थे। मृत्यु के पश्चात अकड़न– ऊपरी व निचले दोनों अंगों में मौजूद थी। बाह्य सामान्य दिखावट– ब्लीडिंग प्रजेंट इन बोथ ईयर, रेक्टम, एंड युरेथ्रल एण्टीमोर्टम इंजरीज– 1. स्टीजड वाउंड 5 सेमी लांग विद 4 स्टीजड आन राइट साइड पेराइटल रीजन 14 सेमी अबव फ्राम राइट ईयर। 2. स्टीजड वाउंड 3 सेमी लांग विद 4 स्टीजड आन लेफ्ट साइड पेराइटल रीजन 7 सेमी अबव फ्राम लेफ्ट आईब्रो। 3. क्नटूजन 12X8 सेमी लेफ्ट साइड विद फेस 4. क्नटूजन 5X3 सेमी अराउंड द राइट आई। 5. एवरेजन 2X1 सेमी लेफ्ट आर्म 6 सेमी अबव फ्राम लेफ्ट एल्बो जॉइंट। आंतरिक परीक्षण– सिर– स्केल्प एज नोटिड, स्कल– राइट साइड पेराइटल बोन फैक्चर, मेननजियल वेसेल्स– लेसेरेटेड, ब्रेन– हेमेटोमा उपस्थित वजन 1350 ग्राम, ओरल कैविटी– एज नोटिड, दांत– 15/16, लंग्स–बाइलेटरल कंजेस्टिड वजन 590 ग्राम, हृदय– राइट फुल एंड लेफ्ट इम्पटी वजन 260 ग्राम, उदर– आमाशय– 50 एम.एल. लिक्विड प्रेजेंट, छोटी आंत अपेंडिक्स सहित– गैसेज प्रेजेंट, बड़ी आंत वेजेन्ट्रिक वाहिनी सहित– फीकल मैटर एंड गैसेज, लिवर व पित्ताशय– लिवर कंजेस्टिड व पित्ताशय फुल लिवर का वजन 132 ग्राम, प्लीहा– कंजेस्टिड वजन 90 ग्राम, किडनी– बाइलेटरल कंजेस्टिड वजन 220 ग्राम। मृत्यु का संभावत समय– अबाउट हाफ डे। मृत्यु का तात्कालिक कारण दृ शॉक एंड कोमा ड्यू टू एण्टीमार्टम हेड इंजरी। मृतक का शरीर सी. पी 3699 रज्जू को सीलबंद करके वापस सौंप दिया गया। मृतक की शव–विच्छेदन रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई है। रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर है। रिपोर्ट पत्रावली में कागज संख्या 8क/1 लगायत 8क/4 के रूप में संलग्न है जिसे देखकर मैं तस्दीक करता हूँ। जिसपर प्रदर्श संख्या क–11 डाला गया है। विवेचक ने इसके संबंध में मुझ से पूछताछ

की थी। बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि– मृतक के पहले से ही टांके लगे हुए थे। पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए चोट की प्रकृति के बारें में नहीं बताया जा सकता है। चोट क्रमांक 03,04,05 गिरने से भी आ सकती है। यह कहना गलत है कि मैंने नियमानुसार कार्यवाही न की हो।

(49) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा मृतक सीताराम का पोस्टमार्टम किया गया था। उक्त साक्षी द्वारा जिरह में बताया गया है कि मृतक के पहले से ही टांके लगे हुए थे। पट्टी बंधी हुयी थी, इसलिए चोट की प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता। चोट क्रमांक 3,4,5 गिरने से भी आ सकती हैं। उल्लेखनीय है कि डा० प्रवेश कुमार आनंद ने जब सीताराम का चिकित्सीय परीक्षण किया था, तो उनके द्वारा सीताराम के कुल 4 चोटें दर्शायी गयी थीं, जबकि पोस्टमार्टम में डाक्टर द्वारा 5 चोटें दर्शायी गयी हैं। इस प्रकार प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण जोकि जीवित अवस्था में किया गया था तथा पोस्टमार्टम की चोटों में भिन्नता है।

(50) इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपरोक्त मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। समस्त तथ्य के साक्षीगण हितबद्ध साक्षीगण है। प्रस्तुत मामले में कथित घटना होने का जो हेतुक बताया गया है, उस संबंध में भी पत्रावली पर कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कथित घटना का हेतुक मृतक सीताराम की हत्या करने के लिए पर्याप्त हो। इस मामले में किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र व रामनिवास को मृतक सीताराम की हत्या करते हुए नहीं देखा गया है। प्रस्तुत मामले में घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामविलास द्वारा ही लाठी डंडों से मारपीट करके मृतक सीताराम को गंभीर चोटे पहुंचायी गयी और उक्त चोटों से ही मृतक सीताराम की मृत्यु हो गयी। इस स्तर पत्रावली पर अभियुक्तगण द्वारा कथित घ टना कारित किये जाने एवं एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अपराध के संबधं में पुष्टिकारक मौखिक व दस्तोवजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जहां तक अभियुक्त गंगा प्रसाद की निशानदेही पर आलाकत्ल लाठी की बरामदगी का प्रश्न है, तो प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये सभी साक्षीगण द्वारा मृतक सीताराम को चारों अभियुक्तगण द्वारा लाठी डंडो से मारने पीटने का कथन किया गया है, किन्तु विवेचक द्वारा दौरान विवेचना मात्र एक लाठी को बरामद किया गया है। उक्त लाठी को विवेचक द्वारा परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया है।

(51) यह भी उल्लेखनीय है कि किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान जान बूझकर मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना अपराध की श्रेणी में आता है। अतः न्यायहित में यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता/वादी का मिथ्या साक्ष्य देने अथवा गढ़ने के लिये संक्षिप्त विचारण किया जाये। इस हेतु वादी को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः वादी को इस बाबत नोटिस जारी हो, कि उसे धारा–383 बी.एन.एस.एस. के अपराध हेतु दंडित क्यों न किया जाये?

(52) इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना के उपरांत यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास के विरुद्ध युक्तियुक्त साक्ष्य के माध्यम से आरोप दंडनीय अर्न्तगत धारा 115(2) सपठित धारा 3(5), 352, 103(1) सपठित धारा 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी./एस.टी. एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास को उन पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

SST No. 15/ 2025
Crime No. 362/2024
State Vs Ganga Prasad Ors
U/s 115(2), 352, 103(1), 351(2), 351(3) B.N.S.,
& 3(1)da, 3(1)dha & 3(2)5 SC/ST Act

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 15/2025, मुकदमा अपराध संख्या 362/2024 में अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, ओमपाल, सुरेन्द्र कुमार व रामनिवास को अर्न्तगत धारा 115(2) सपठित धारा 3(5), 352, 103(1) सपठित धारा 3(5), 351(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(5)एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना बरखेड़ा, जनपद, पीलीभीत के प्रकरण मे दोषमुक्त किया जाता हैं।

अभियुक्तगण जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्तगण का दोषमुक्त अधिपत्र अविलम्ब जिला कारागार, पीलीभीत प्रेषित किया जाये। यदि वे किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाये।

इस मामले में अभियुक्तगण प्रत्येक अपील के लिए धारा 480 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत मु. 1,00,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो–दो प्रतिभूपत्र एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

साक्षी पी.डब्लू.–1 वादी श्रीकृष्ण के विरूद्ध दाण्डिक प्रकीर्ण वाद दर्ज करके न्यायालय के समक्ष साशय मिथ्या साक्ष्य दिये जाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 383 के अंतर्गत नोटिस जारी हो।

प्रस्तुत मामले में साक्षी पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा श्रीकृष्ण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जो सरकारी अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त की गयी है, वह राज्य सरकार में नियमानुसार जमा किया जाये तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को प्रेषित की जाये।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 17.06.2026
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 17.06.2026
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।